भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 5421
दिनांक 03 अप्रैल, 2025

पीएमयूवाई के तहत शहरी मलिन बस्तियों में एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देना

5421. श्री लुम्बाराम चौधरी:
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने स्वच्छ खाना पकाने की ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने और वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शहरी मलिन बस्तियों में एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड में ढील दी है ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना से लाभान्वित हो सकें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में एलपीजी वितरण बुनियादी ढांचे का ब्यौरा क्या है;
(ङ) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अपने एलपीजी सिलेंडरों को रिफिल कराने वाले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की वर्षवार संख्या कितनी है; और
(च) पीएमयूवाई योजना ने ग्रामीण परिवारों, विशेषकर महिलाओं और ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के जीवन पर किस प्रकार महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (च): शहरी झुग्गियों सहित पूरे देश में गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को बगैर जमानत राशि के एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) शुरू की गई थी। पीएमयूवाई के तहत 8 करोड़ कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य सितंबर, 2019 में हासिल कर लिया गया था। शेष गरीब परिवारों को शामिल करने के लिए 1 करोड़ अतिरिक्त पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करने के लक्ष्य के साथ अगस्त, 2021 में उज्ज्वला 2.0 की शुरूआत की गई थी, जिसे जनवरी, 2022 में हासिल कर लिया गया था। इसके साथ ही सरकार ने उज्ज्वला 2.0 के तहत 60 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया तथा दिसंबर 2022 के दौरान उज्ज्वला 2.0 के तहत 1.60 करोड़ कनेक्शन के लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने पीएमयूवाई योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक की अवधि के लिए अतिरिक्त 75 लाख कनेक्शन जारी करने को अनुमोदित कर दिया था जिसे पहले ही जुलाई, 2024 के दौरान हासिल किया जा चुका है।

पीएमयूवाई के तहत एलपीजी कनेक्शन गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं के नाम पर जारी होता है, बशर्ते परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई एलपीजी कनेक्शन न हो और अन्य नियमों और शर्तों को पूरी करता हो। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना से संबंधित परिवार (एसईसीसी) सूची में शामिल या अन्य सात श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति (एससी) परिवार, अनुसूचित जनजाति (एसटी) परिवार, अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थी, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के लाभार्थी, वनवासी, द्वीप/नदी द्वीपों के निवासी, चाय बागान/पूर्व चाय बागान श्रमिक या गरीब परिवार जो उपरोक्त श्रेणियों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, वे 14 सूत्रीय घोषणा प्रस्तुत करके पीएमयूवाई कनेक्शन के लिए पात्र हैं। उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत प्रवासी परिवारों के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है, जो पीएमयूवाई कनेक्शन के लिए आवेदन करने हेतु पते के प्रमाण और राशन कार्ड के स्थान पर स्व-घोषणा का उपयोग कर सकते हैं। दिनांक 01.03.2025 की स्थिति के अनुसार देश भर में 10.33 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन हैं।

ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में एलपीजी की पहुंच में सुधार करने के उद्देश्य से ओएमसीज ने देश भर में 7959 डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स (दिनांक 01.04.2016 से 31.12.2024 के दौरान कमीशन किए गए) कमीशन की है जिसमें से 7373 डिस्ट्रीब्यूटरशिप (अर्थात 93%)[रुरबन-1024,ग्रामीण-4974, दुर्गम क्षेत्रीय वितरक और राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक (डीकेवी + आरजीजीएलवी) -1375] ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इसके अलावा देश में एलपीजी कवरेज अप्रैल 2016 में 62 प्रतिशत से सुधार होकर संतृप्ति के निकट पहुंच गया है। योजना के बारे में जागरूकता लाने और एलपीजी के उपयोग से संबंधित किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए, तेल विपणन कंपनियां नियमित रूप से ग्राहकों के लिए एलपीजी पंचायतों का आयोजन करती हैं। सरकार ने पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा एलपीजी की बेहतर खपत को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें राजसहायता राशि से ऋण वसूली को स्थगित करना, अग्रिम नकद व्यय को कम करने के लिए 14.2 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक के सिलेंडर में अदला-बदली का विकल्प, 5 किलोग्राम डबल बोटल कनेक्शन का विकल्प, लाभार्थियों को निरंतर आधार पर एलपीजी का उपयोग करने के लिए मनाने हेतु प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत का आयोजन, जन जागरूकता शिविर आदि शामिल हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, देश में एलपीजी कवरेज अप्रैल 2016 में 62% से बढ़कर अब लगभग संतृप्ति के करीब पहुंच गया है।

पीएमयूवाई की शुरुआत से वित्त वर्ष 2022-23 तक सरकार सिलेंडर के लिए जमानत राशि (एसडी), प्रेशर रेगुलेटर, सुरक्षा होज, डीजीसीसी बुकलेट और इंस्टॉलेशन शुल्क के लिए 1600 रु. प्रति पीएमयूवाई कनेक्शन तक व्यय को वहन कर रही है। वित्त वर्ष 2023-24 से इस व्यय को बढ़ाकर 14.2 किलोग्राम सिंगल बॉटल कनेक्शन/5 किलोग्राम डबल बॉटल कनेक्शन के लिए 2,200 रुपए प्रति कनेक्शन और 5 किलोग्राम सिंगल बॉटल कनेक्शन के लिए 1,300 रुपये प्रति कनेक्शन कर दिया गया है।

पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी को और अधिक किफायती बनाने तथा उनके द्वारा एलपीजी का निर्बाध उपयोग सुनिश्चित करने के निमित्त, सरकार ने मई, 2022 में पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए प्रति वर्ष

12 रिफिल तक 200 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर (तथा 5 किलोग्राम सिलेंडर के लिए समानुपातिक यथानिर्धारित) की निर्धारित राजसहायता की शुरूआत की। अक्टूबर, 2023 में, सरकार ने प्रति वर्ष 12 रीफिलों तक प्रति 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपए तक (तथा 5 किलोग्राम सिलेण्डर के लिए समानुपातिक यथानिर्धारित) निर्धारित राजसहायता को बढ़ा दिया है। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए 300 रुपए प्रति सिलेण्डर की निर्धारित राजसहायता के बाद, भारत सरकार 503 रुपए (दिल्ली में) के प्रभावी मूल्य पर 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर प्रदान कर रही है। यह देश भर में 10.33 करोड़ से अधिक उज्ज्वला लाभार्थियों को उपलब्ध है।

दिनांक 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार जारी किए गए 8.99 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शनों में से 8.34 करोड़ ग्राहकों ने पिछले दो वित्त वर्ष अर्थात अप्रैल 2022 और मार्च, 2024 के बीच के दौरान कम से कम एक रीफिल का लाभ उठाया है।

विभिन्न स्वतंत्र अध्ययनों और प्रतिवेदनों से अभिज्ञात हुआ है कि पीएमयूवाई योजना का ग्रामीण परिवारों, विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले महिलाओं और परिवारों के जीवन पर विशेष सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके कुछ प्रमुख लाभ निम्नानुसार हैं :-

i. पीएमयूवाई के परिणामस्वरूप पारंपरिक रूप से भोजन पकाने के तरीकों, जिसमें लकड़ी, गोबर और फसल अवशेषों जैसे ठोस ईंधन को जलाना शामिल है, में बदलाव आया है । स्वच्छ ईंधन के उपयोग से घर के अंदर वायु प्रदूषण कम होता है, जिससे श्वसन से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं, विशेषकर महिलाएँ और बच्चे जो पारंपरिक रूप से घरेलू धुएँ के संपर्क में अधिक आते हैं, में सुधार होता है।

ii. ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार, विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में, अक्सर अपने समय और ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पारंपरिक रूप से भोजन पकाने का ईंधन इकट्ठा करने में निकाल देते हैं। एलपीजी ने गरीब परिवारों की महिलाओं द्वारा भोजन पकाने में लगने वाले समय और मेहनत को कम किया है। इस प्रकार, उनके पास उपलब्ध खाली समय का उपयोग कई क्षेत्रों में आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

iii. बायोमास और पारंपरिक ईंधन से एलपीजी में बदलाव से भोजन पकाने के प्रयोजन से लकड़ी और अन्य बायोमास पर निर्भरता कम हो जाती है, जिससे वनों की कटाई और पर्यावरण क्षरण में कमी आती है। इससे न केवल परिवारों को लाभ होता है, बल्कि व्यापक रूप से पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी प्रयासों में भी योगदान मिलता है।

iv. बेहतर भोजन पकाने की सुविधाओं के साथ, पोषण पर संभाव्य सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। परिवारों के लिए विभिन्न प्रकार के पौष्टिक भोजन पकाना आसान हो जाता है, जिससे समग्र स्वास्थ्य में सवंर्धन होता है।

इसके अलावा, पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी की पहुंच और किफायत में सुधार करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप पीएमयूवाई लाभार्थियों की प्रति व्यक्ति खपत (प्रति वर्ष लिए गए 14.2 कि. ग्रा. वाले एलपीजी सिलेंडरों के संदर्भ में) (वित्त-वर्ष 2020-21) में 3.68 से बढ़कर वित्त-वर्ष 2023-24 में 3.95 तथा वित्त- वर्ष 2024-25 (दिनांक 01.03.2025 की स्थिति के अनुसार) 4.43 हो गई है।

***